

प्रेस नोट - दिनांक 05.02,2025

थाना बिहार, जनपद उन्नाव।



25000/- रु0 का ईनामिया लुटेरा गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दिए गए आदेश-निर्देश के अनुपालन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव श्री अखिलेश सिंह तथा क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर श्री ऋषिकान्त शुक्ला के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बिहार व एस0ओ0जी0 एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 25000/- रूपये के इनामिया लुटरे को कब्जे से बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर, एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर, तीन अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, एक अदद लाकेट पीली धातु बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.11.2024 को थाना बिहार क्षेत्रान्तर्गत देवारा नहर पुल के पास दम्पित से हुई लूट की घटना के संदर्भ में वादी की तहरीर के आधार पर थाना बिहार पर दिनांक 29.11.2024 को मु030सं0 298/2024 धारा 309(4) बी0एन0एस0 बनाम मोटर साइकिल पल्सर काले रंग पर सवार दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान पल्सर सवार दो व्यक्तियों 1.सूरज सिंह पुत्र लल्लन सिंह नि0 रनागढ़ी थाना माखी जनपद उन्नाव व 2.चन्द्रप्रकाश उर्फ पुतई पुत्र सरजू शर्मा नि0 ऊंचगांव सानी थाना बीघापुर जनपद उन्नाव के नाम प्रकाश में आए। प्रकाश में आये दोनों अभियुक्तगणों पर 25000/- रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज सिंह को पूर्व में दिनांक 23.12.2024 को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अन्य अभियुक्त चन्द्रप्रकाश उर्फ पुतई शर्मा उपरोक्त जो लगातार फरार चल रहा था को आज दिनांक 05.02.2025 को थाना बिहार पुलिस व एसओजी एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा कस्बा पाटन पुरवा तिराहे के पास से बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर, एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर, तीन अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, एक अदद लाकेट पीली धातु, एक अदद पैन कार्ड बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोतरी की गयी। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

चन्द्रप्रकाश शर्मा उर्फ पुतई पुत्र स्व0 सरजू शर्मा नि0 ग्राम ऊंचगांव सानी थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 1.बिना नम्बर प्लेट मोटर साइकिल सुपर स्पलेण्डर।
- 2.एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर।
- 3.तीन अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
- 4.एक अदद लाकेट पीली धातु।
- 5.एक अदद पैन कार्ड जिसका नं0 FKMPM1062D

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- 1.मु0अ0सं0 298/24 धारा 309(4)/317(2)/109(1) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहार।
- 2.मु०अ०सं० ०३/२०२१ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट थाना बीघापुर।
- 3.मु०अ०सं० 338/2020 धारा 504/506 भादवि थाना बीघापुर।
- 4.मु०अ०सं० ४९५/२०१६ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट थाना गंगाघाट।
- 5.मु०अ०सं० २१३/२०१६ धारा ३७९/४११ भादवि थाना बीघापुर।
- 6. मु०अ०सं० ४८७/२०१२ धारा ३७९/४११ थाना अचलगंज।
- 7.मु०अ०सं० १६७/२०१२ धारा ३/ ४ गुण्डा एक्ट थाना बीघापुर ।
- 8.मु०अ०सं० 1938/2010 धारा 379/411 थाना अचलगंज।
- 9.मु०अ०सं० ८०८/२००७ धारा ३(१) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना बीघापुर ।
- 10.मु0अ0सं0 777/2007 धारा ४/५ बम विस्फोटक अधि0 थाना बीघापुर ।
- 11.मु०अ०सं० ७७६/२००७ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट थाना बीघापुर ।
- 12.मु०अ०सं० ५६७/२००६ धारा ०८/१८ एनडीपीएस एक्ट थाना बीघापुर ।
- 13.मु०अ०सं० ७०/२००४ धारा ३२३/३५४/५०४/५०६ भादवि थाना बीघापुर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- 1.थानाध्यक्ष श्री सुब्रत नारायण
- 2.उ0नि0 श्री अनिल त्रिपाठी
- 3.उ0नि0 श्री बीरेन्द्र सिंह
- 4.उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह
- 5.कां0 अतुल कुमार
- 6.कां0 अवनीश
- 7.कां0 चालक दिनेश कुमार

<u>SOG टीमः-</u>

- 1.प्र0नि0 श्री जयप्रकाश यादव
- 2.उ0नि0 श्री ज्ञान सिंह
- 3.हे0कां0 आशीष मिश्र
- 4.कां0 विकाश भदौरिया
- 5.कां0 रवि
- 6.हे0कां0 चालक सतेन्द्र
- सर्विलांस टीम





प्रेस नोट - दिनांक 05.02.2025

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव।



अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 05.02.2025 को थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/ वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अभियुक्त सोनू उर्फ राहुल निषाद पुत्र बाबूराम उम्र करीब 25 वर्ष निवासी- भातू फार्म मुर्गी फार्म के आगे थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव को मय 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 50/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सोनू उर्फ राहुल निषाद पुत्र बाबूराम उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी- भातू फार्म मुर्गी फार्म के आगे थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

बरामदगी का विवरण:- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- 1.उ0नि० श्री रविशंकर पाण्डेय
- 2.हे0का० महेन्द्र यादव
- 3.का0 मुकेश कुमार
- 4.का0 प्रशान्त

